

FIRE SAFETY CERTIFICATENO. 418C2अग्नि/2022/2465DATED:- 20.12.2022

Certified that the Mount Litesa Zee School Pali
 at N.H.62 Near Medical College, Togawas, Unndoj comprised of
Ground floor basement(s) and First & Second (upper floors) owned/occupied by
Mount Litesa Zee School Pali
 have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance
 with rule of State/UT fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire
 Service on 18.12.2022 in the presence of Principal MLZS Pali and
 that the building/premises is fit for occupancy 8 kg class
XIIth with effect from 19.12.2022 for a period
 of One years in accordance with rule and subject to compliance of
 the conditions.

Issued on 19.12.2022 at Main Fire Office by

Signature with Seal: 

Name

:- रामलाल गहलोत

Designation

:- सहायक अग्निशमन अधिकारी:- आगर परिवहन कार्यालय

To,

Principal
Mount Litesa Zee School
NH62 Near Medical College Togawas, Unndoj, Pali

ENDORSEMENT

The No objection Certificate issued by Fire Service Stand cancelled and annulled due
 to _____

(reasons to be recorded)

(Name and designation of the authorized signatory)

कायालय नगर पारिषद्, पाली (राज0)

(लालबहादुर शास्त्री टारुन हॉल, सुरजपोल के पास, पाली-मारवाड़, पिनकोड-306401)
(टेली-फेक्स:-02932-221301, ई-मेल cmcpali@yahoo.com, वेब-साईट mcpcali.com,)

कमांक/प.18()अग्नि/2022/ 2465

दिनांक :- 20.12.2022

-: अनापति प्रमाण पत्र :-


प्रेषित :- माउंट लिट्रा जी स्कूल, नेशनल हाइवे 62 मेडिकल कॉलेज के पास,
तोगावास गुन्दोज पाली (राज.)

विषय :- अनापति प्रमाण पत्र जारी करने बाबत।

प्रसंग :- आपके पत्र के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है माउंट लिट्रा जी स्कूल, नेशनल हाइवे 62 मेडिकल कॉलेज के पास तोगावास गुन्दोज पाली (राज.) के स्थान का मौका निरीक्षण किया गया निरीक्षण के दौरान अग्निशमन सुरक्षा हेतु स्कूल में लगे अग्निशमन यंत्र व्यवस्थित सही एवं चालू हालत में पाये गये आवश्यकता पड़ने पर इन अग्निशमन यंत्रों को उपयोग में लिया जा सकता है। उक्त बिल्डींग को अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के अनुसार निम्न शर्तों पर पाबन्द करते हुए यह अनापति प्रमाण जारी किया जाता है।

1. अनापति प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होगा।
2. एक वर्ष के पश्चात अनापति प्रमाण पत्र का नवीनीकरण करवाया जाना आवश्यक होगा अन्यथा अनापति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त माना जायेगा।
3. स्कूल के समस्त स्टॉफ व सिक्योरिटी गार्ड को वर्ष में एक बार अग्निशमन विभाग द्वारा प्रशिक्षण दिलाना आवश्यक होगा।
4. स्कूल में लगे अग्निशमन यंत्रों को हमेशा चालू हालत में रखना होगा।
5. अग्निशमन यंत्रों को समयावधि में रिफिलिंग करवाने होंगे।
6. फायर सिस्टम को चलाने हेतु 24x7 घण्टे फॉयर प्रशिक्षण कर्मचारी रखना होंगे।
7. स्कूल का अग्निशमन अधिकारी द्वारा कभी भी निरीक्षण किया जा सकेगा व फायर सिस्टम कार्यरत (चालू हालत) नहीं पाये जाने की स्थिति में यह अभिशंषा पत्र निरस्त माना जायेगा।
8. यदि राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा भविष्य में कोई नियम/उपनियम जारी किया जाता है तो प्रबंधक को मान्य होगा।
9. यह अनापति प्रमाण पत्र अग्नि सुरक्षा की दृष्टि में मान्य होगा।
10. स्कूल में पानी का टैंक ऊपर व नीचे बनाना होगा जिसका कनेक्शन उच्च हॉस पॉवर मोटर के साथ पर्याप्त पाईप लगाना होगा।
11. स्कूल में साईन (सिंगल) बोर्ड लगाने होंगे।
12. स्कूल का एक वर्ष पश्चात अग्निशमन अधिकारी द्वारा निरीक्षण करवाना होगा।
13. स्कूल में आने व जाने के लिये रास्ता खुला रखना होगा।
14. स्कूल में वाहनों को रखने के लिये पार्किंग व्यवस्था रखनी होगी।
15. स्कूल में व्यवस्थापक को आपातकालीन स्थिति में बिजली (जनेटर) की व्यवस्था रखनी होगी।
16. स्कूल में आपात सेवाओं के दूरभाष नम्बर व धूम्रपान निषेध का साईन बोर्ड लगाना होगा।
17. स्कूल के व्यवस्थापक को स्कूल के मानचित्र अनुसार के अलावा और निर्माण कार्य करने से पूर्व राज्य सरकारी/परिषद् द्वारा/अग्निशमन अधिकारी से अनुमती लेनी होगी।
18. प्रस्तावित माउंट लिट्रा जी स्कूल, नेशनल हाइवे 62 मेडिकल कॉलेज के पास तोगावास गुन्दोज पाली (राज.) को बिन्दु संख्या 1 से 17 तक पालना करनी होगी


सहायक अग्निशमन अधिकारी
सुरजपोल अग्निशमन अधिकारी
नगर पारिषद्, पाली